ग्राम पंचायत मझीवड़, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016

1 **प्रस्तावना (क)** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत मझीवड़ , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री प्रकाश चन्द कमल	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	1.4.2013 से 28.2.2014
2	श्री यशवन्त	1.3.2014 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत मझीवड़ के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	राशि का बैंक खाते में जमा न पाया जाना	0.50
2	11(क)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.17
3	12	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9.75
4	13	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	5.53
5	14	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का	5.23

		क्रय करना	
6	15	ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि से संबन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.65
7	17	संविदाकार से वैधानिक कटौतियां न करना	0.07

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मझीवड़ , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.8.2016 से 2.9.2016 तक ग्राम पंचायत मझीवड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/2014, 11/2014 , 11/2015 तथा माह 4/2013, 12/2014 , 12/2015 मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मझीवड़ , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4 , दिनांक 2.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मझीवड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मझीवड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत मझीवड़ के अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा योजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का विवरण **"परिशिष्ट-क"** के अनुसार नीचे दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की

आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है , जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	753242.56	471559	1224802	564398	660403.56
2014-15	660403.56	1439901	2100305	1354520	745784.81
2015-16	745784.81	1655645	2401430	1426717	974712.81

नोट:- रोकड़ बही में मासन्त/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत मझीवड़ की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा योजना) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	449333.25	1156950	1606283	1582446	23837
2014-15	23837	1474072	1497909	1497909	0
2015-16	0	865196	865196	865196	0

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत मझीवड़ की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है , जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹5989/- का अन्तर पाया गया जिसका समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है , जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के अन्तर ₹5,989/- का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं०	**विवरण**		**राशि (₹)**
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		974712.81
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा 4(क)**	974712.81	
	(ii) मनरेगा- पैरा **4(ख)**	0	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		980701.81
3	अन्तर जिसका समाधान नहीं किया गया		**5989**

6 रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव नियमानुसार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता-'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है , परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत मझीवड़ में दो रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 10 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में

नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

7 बैंक खाते में ₹0.50 लाख का जमा न पाया जाना

सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-56 पर खण्ड विकास अधिकारी , बसन्तपुर से पंचायत घर मझीवड़" के "निर्माण हेतु हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक सुन्नी , खाता संख्या: 5706 में ₹50,000/- प्राप्त/जमा होने पर इसकी रसीद संख्या: 430, दिनांक 29.3.2016 जारी करके प्रविष्टि की गयी तथा अंकित किया गया कि यह राशि बैंक में दिनांक 25.11.2015 को सीधे जमा हुई थी, परन्तु संबन्धित पास बुक/खाते में दिनांक 25.11.2015 को ₹50,000/-जमा नहीं पाई गयी। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके उक्त राशि की बैंक खाते में जमा होने की पुष्टि सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत मझीवड़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी।

9 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप मे निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	हस्तगत राशि
32	8.4.13	8636
34	17.4.13	12197
42	15.8.13	2326
51	19.2.14	4750
13	6.10.14	2325
16	24.11.14	2817
19	12.12.14	5874

38	30.5.15	1712
44	19.9.15	3219
49	19.11.15	5878
50	5.12.15	12878

10 बजट प्राक्कलन तैयार न करना तथा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना

(क) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन कर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किये जाने सुनिश्चित किए जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी , मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया था तथा इसी प्रकार पंचायत के अभिलेख को व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से भी नहीं रखा गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण को यह भी सूचित किया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में अधिकतर निर्माण कार्यों की Assessment मापन पुस्तिकाओं में कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम बिल के रूप में की जा रही थी , जबकि यह चलित बिल अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में पंचायत के समस्त अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये तथा प्रत्येक निर्माण कार्य की मापन पुस्तिकाओं में Assessment चलित बिल अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाये , ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

11 पंचायत राजस्व की ₹0.17 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

(क) पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा “**परिशिष्ट-ग”** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹17,300/- की राजस्व वसूली शेष थी, जिसकी वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ख) दुकानों से किराये की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत की अपनी तीन दुकानें हैं जिनमें से एक दुकान श्री सालिग राम को किराये पर दी गयी है तथा शेष दो दुकानें हि०प्र० सहकारी समिति सुन्नी को उचित मूल्य की दुकान चलाने हेतु दी गयी हैं। रोकड़ बही के अनुसार श्री सालिग राम से दुकान के किराये के रूप में मार्च , 2016 तक ₹6,960/- वसूली हेतु शेष थी तथा शेष दो दुकानों बारे पंचायत रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं पाया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत इसकी छानबीन कर रही है , जिसके पूरा होते ही सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा सम्पूर्ण अवधि के किराये की वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(ग) मोबाइल टावर की फीस वसूल न करना

सचिव (आई०टी०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: डी०आई०टी०-डी०ई०वी०-(आई०टी०)2005-विविध, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल कंपनी से मोबाइल टावर की स्थापना हेतु शुल्क ₹4000/- प्रति टावर व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 2000/- (पाँच वर्ष पश्चात 25% बढ़ौतरी सहित) वसूल किया जाना अपेक्षित है। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत की जानकारी के अनुसार पंचायत क्षेत्र में रिलायंस कंपनी का एक मोबाइल टावर है, जिसके स्थापित होने की तिथि बारे ग्राम पंचायत को कोई जानकारी नहीं है। अभिलेख के अनुसार कंपनी से कोई फीस नहीं वसूली जा रही है। सचिव द्वारा यह भी सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत इसकी छानबीन कर रही है तथा छानबीन उपरान्त सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व उक्त मोबाइल कंपनी से नियमानुसार सम्पूर्ण अवधि का शुल्क वसूल करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(घ) स्व-स्त्रोत की प्राप्त आय से सीधा व्यय करना

ग्राम पंचायत द्वारा बीच-2 में स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6(3)के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त पाई गयी अनियमितता बारे सपष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

12 अनुदान की ₹9.75 लाख का उपयोग उपयोग हेतु शेष पाया जाना

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर स्व-स्त्रोत तथा विविध अनुदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कुल ₹9,74,712.81 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में **परिशिष्ट-घ** के अनुसार 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की क्रमशः ₹80,849/- व ₹2,79,769/- शामिल थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है , जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि का खाता-'क" व खाता-'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा विविध अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

13 ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹5.53 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 , 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई ₹5,53,221/- **की** विभिन्न मदों, जिनका विवरण "**परिशिष्ट-ड"** में दिया गया है, को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया

था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही ₹5.23 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "**परिशिष्ट-च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹5,23,340/- के स्टोर/स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। यद्यपि पंचायत द्वारा रेट, बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लिए वार्षिक आधार निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसका कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ग्राम पंचायत द्वारा ₹0.65 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना की रोकड़ बही के पृष्ठ-136 पर चैक संख्या 105673, दिनांक 22.4.2013 (यूको बैंक गुम्मा, खाता संख्या: 2761) द्वारा ₹65,280 का भुगतान किया गया तथा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह भुगतान श्री प्रकाश चन्द कमल, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत मझीवड़ को हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुन्नी से मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए सीमेंट की खरीद हेतु किया गया था, परन्तु सीमेंट खरीद के बिल/वाउचर अभिलेख में नहीं पाये गये। इस संदर्भ में अंकेक्षण को अवगत किया गया कि व्यय से संबन्धित बिल/वाउचर खोजने के उपरान्त अंकेक्षण में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत का दिये जाएंगे। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.61 लाख के स्वीकृत पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹61,000 जारी की गयी, परन्तु इस राशि के व्यय से संबन्धित बिल/वाउचर, संबन्धित सक्षम अधिकारी का "स्वीकृती पत्र" व कार्य निष्पादन उपरान्त अपेक्षित "उपयोगिता प्रमाण पत्र" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कि ए गए, जिससे व्यय की पूर्ण जांच

नहीं हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं०	लाभार्थी का नाम	पता	आवास योजना का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ/दिनांक	चैक संख्या व दिनांक	राशि
1	श्रीमति निर्मला पत्नी श्री धनी राम	गाँव जझेड, गुम्मा	इन्दिरा आवास योजना	33/11.4.13	383625 19.3.13	15000
2	श्री मान सिंह	गाँव शिल, मझीवड़	अटल आवास योजना	21/30.12.14	383636 30.12.14	8500
3	श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री लाल चन्द	गाँव जजेहड़, गुम्मा	राजीव आवास योजना	50/दिसम्बर, 2015	083184 5.12.15	37500
					कुल	**61000**

17 संविदाकार से ₹0.07 लाख की वैधानिक कटौतियां न करना

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 12/2015 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था , परन्तु भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹7,350/- की विभिन्न वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	बिल सं0	दिनांक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	बिल राशि (₹)
1	124	18.10.15	जेसीबी मशीन द्वारा गड़काहन से सेरी तक सड़क निर्माण	मै० शिद्धिदात्री इंटरप्राइजिज़, बसन्तपुर	49000
				प्रतिभूति राशि 10%	4900
				आय कर 2%	980
				बिक्री कर 2%	980
				लेबर सैस 1%	490
				कुल	**7350**

इस प्रकार संविदाकार के भुगतान बिलों से वैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई तथा संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया है , जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए। इसके अतिरिक्त इन राशियों के **"'उपयोगिता प्रमाण पत्र"** भी अभिलेख में संलग्न नहीं थे, जिन्हें अब संबन्धित संस्थाओं को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

18 निर्माण सामग्री से ₹0.07 लाख के Voids की कटौती न करना

चयनित मासों के अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस मे से नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-छ"** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹6,610/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

19 मजदूरी के रूप में ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

मनरेगा योजना के अन्तर्गत चयनित माह 12/2015 में निम्न वर्णित मस्ट्रोल द्वारा मजदूरों को ₹2,989/- का अधिक भुगतान किया गया जिसे या तो न्यायोचित ठहरारा जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

क्रम सं०	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	मस्ट्रोल की राशि (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	2158	7.3.15 से 20.3.15	12474	13552	1078
2	2159	7.3.15 से 20.3.15	4004	4312	308
3	2060	7.3.15 से 20.3.15	17556	18942	1386
4	141	21.6.14 से 4.7.14	2821	3038	217
				कुल	**2989**

20 रोकड़ वही से वेतन के रूप में ₹0.02 लाख का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-53 पर श्री दुला चन्द , पंचायत चौकीदार मझीवड़ को वेतन माह 2/2014 व 3/2014 के लिए ₹5,400/- का भुगतान किया गया दर्शाया गया था। जबकि उक्त मासों का प्रतिमाह वेतन ₹1,800/- (₹1650/- वेतन व ₹150/- वर्दी भत्ता) था, जिसके कारण दो मासों का कुल वेतन ₹3,600/- बनता था। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त चौकीदार को ₹3,600/-का ही चैक संख्या: 921474, दिनांक 31.3.2014 (हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक , सुन्नी, खाता संख्या: 5706) जारी किया गया तथा वेतन रजिस्टर पृष्ठ-6 पर भी चौकीदार द्वारा ₹3,600/- ही प्राप्त की गयी। इस प्रकार रोकड़ बही में (₹5,400-₹3,600)= ₹1,800 का अधिक व्यय दर्शाकर भुगतान किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा रोकड़ बही में ₹1,800 /- के

अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 निर्माण पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन मझीवड़ के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 12/2014 में पंचायत भवन मझीवड़ व सामुदायिक भवन मझीवड़ के निर्माण हेतु निम्न विवर्णानुसार ₹1,34,197/- का भुगतान मजदूरों के मस्ट्रोल द्वारा किया गया, परन्तु उक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित विस्तृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय/प्रशासनिक अनुमोदन, कुल स्वीकृत राशि/व्यय की गयी राशि, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र , मापन पुस्तिकाएं इत्यादि से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अपेक्षित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त भुगतान की गयी राशि की उपयुक्त जांच सम्भव नहीं हो सकी। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु लगभग क्रमशः आठ लाख व चार लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी तथा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुये हैं, जबकि उक्त समस्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी , बसन्तपुर के कार्यालय में रखे गए है। अतः उक्त अभिलेख अपेक्षित जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्रम सं०	**वाउचर संख्या व मस्ट्रोल संख्या**	**अवधि**	**कार्य का नाम**	**मास**	**भुगतान राशि**
1	69/30104	4.11.14 से 16.11.14	निर्माण पंचायत घर मझीवड़	12/2014	23004
2	75/30105	4.11.14 से 3.12.14	निर्माण पंचायत घर मझीवड़	12/2014	58682
3	74/30106	1.12.14 से 10.12.14	निर्माण पंचायत घर मझीवड़	12/2014	17470
4	82/30107	1.12.14 से 15.12.14	निर्माण पंचायत घर मझीवड़	12/2014	12945
5	79/30108	1.12.14 से 18.12.14	निर्माण सामुदायिक भवन मझीवड़	12/2014	22096
				कुल	**134197**

22 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

(क) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों

का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	**रजिस्टर/ अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	क्लासिफाइड अब्सट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
4	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

(ख) इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/ अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**	**टिप्पणी**
1	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)	रजिस्टर में केवल मनरेगा अनुदानों की वर्ष 2013-14 व 2014-15 की प्रविष्टियाँ दर्ज थी जो कि पूर्ण नहीं थीं।
2	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 से 26	72 (1) (ए० से सी०)	रजिस्टर अधूरा था व अंकेक्षणाधीन अवधि की कोई भी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गयी थी।
3	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)	रजिस्टर अधूरा था व केवल वर्ष 2015-16 की प्रविष्टियाँ दर्ज थीं जो कि पूर्ण नहीं थी।

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 विविध

(क) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का सही रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आय के संग्रह हेतु उक्त रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तीजनक भी है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा एक समय में दो-दो रसीद बुकें प्रयोग में लाई गई थीं। अतः उक्त पाई गयी अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार रख-रखाव किया जाये व एक समय में एक ही रसीद बुक उपयोग में लाई जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(ख) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ग) मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में कुल ₹8,65,196/- का व्यय खण्ड विकास अधिकारी, बसन्तपुर के कार्यालय से सीधे On line किया गया दर्शाया गया था, परन्तु रोकड़ बही में केवल मात्र ₹8,62,558/- के बिल/वाउचर/मस्ट्रोल दर्ज किए गये थे। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये शेष ₹2,638/-के बिल/वाउचर/मस्ट्रोल को भी रोकड़ बही में दर्ज करके संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

25 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

26 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12)26/2016–खण्ड–1–99–102 दिनाँकः 09.01.2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत मझीवड़, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला,

(हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.